कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

पत्रांक 878 / नक्शा / नि0वि0 / जि0पं0 / 2011–2012 दिनांक 11/5/12

मेसर्स आदिति इन्फ्रोवेन्चर प्राइवेट लिमिटेड
निर्माण स्थल– ग्राम उत्तरधौना
विकास खण्ड चिनहट
जनपद– लखनऊ।

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर समयक विचारोपरान्त मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्राम उत्तरधौना विकास खण्ड चिनहट जनपद लखनऊ मे प्रस्तावित अपार्टमेन्ट भवन निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत मानचित्र के खसरा संख्या 416 में अंकित कुल कवर्ड एरिया 9290.00 मे मानचित्र के आधार पर निर्माण कार्य कराये जाने हेतु मानचित्र की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

1–प्रस्तावित अपार्टमेन्ट भवन का निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाये।

2–जल–मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।

3–मख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबधित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1964 के नियम–7 यथावत् लागू रहेगें।

4–प्रतिबन्ध रहेगा कि अपार्टमेन्ट भवन का निर्माण कार्य कवर्ड एरियां 9290.00 वर्गमीटर में ही निर्माण कराया जाये।

5–प्रतिबन्ध रहेगा कि मुख्य अग्नि शमन अधिकारी कार्यालय से दो माह के अन्दर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत कर दें, अन्यथा की दशा में स्वीकृति मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

6–प्रतिबन्ध रहेगा कि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शें/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्धन नही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।

अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, लखनऊ